

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थीया सावित्री देवी पत्नी नोरंगलाल जाति स्वामी निवासी छोटा हनुमान मंदिर हाल वार्ड नं0 15 मकान नं0 416 गांधी बस्ती पुरानी आबादी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी.चपूफ, एवं दो गवाह का शपथ पत्र, आई.डी.पुफ, रसीद पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत बंद वसीयत सीलड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखवाई जावे।

प्रार्थीया व गवाहान गुरप्रीत सिंह पुत्र छिन्द्र सिंह एवं चन्द्रशेखर पुत्र रणजीत सिंह की पहचान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र ग्रोवर द्वारा की गयी।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवा कर सीलड पैकेट बंद वसीयत को सेफ कस्टडी में रखने के संबंध में आदेशार्थ प्रस्तुत है।

आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

2021/280

